1-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~.......~~ ~~.......~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-11-15 को पेश हो।

रीडर

3-11-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। सायल मोहरसिंह व गैरसायल नन्दूराम उपस्थित है। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। सायल के वकील ने अपने T.I. प्रार्थनापत्रानुसार एवं गैरसायलान के वकील ने अपने जवाब के अनुसार बहस की। नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे पक्षकारों व उनके वकीलों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह तथ्य उभरकर सामने आया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार ख०नं० 251 रकबा 8 एयर मे 12x18 मीटर मे पक्का चौरीपोश, मकान, 15x12 मीटर मे गोह दुपल्ला व छान, खुला मैदान है तथा 32x12 मीटर भूमि मौके पर गोत लगाकर पडी हुई है। पक्षकार इस बात पर सहमत हुए है कि ख०नं० 251 मे 32x12 मीटर खाली भूमि के कब्जे काश्त मे सायल को गैरसायलान ~~को~~ एवं 12x18 मीटर, 15x12 मीटर मे निर्मित मकानो मे कब्जे मे सायल गैरसायलान को कोई बाधा तामैसला दावा उत्पन्न नहीं करेंगे। पक्षकारों व उनके अभिभाषकगण ने T.I. प्रा०पत्र का इसी अनुसार निर्णय करने का निवेदन किया है।

अत: उपरोक्तानुसार उभयपक्षकारों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक ख०नं० 251 रकबा 8 एयर ग्राम नौगांव मे मौका रिपोर्ट दि० 7-6-15 के अनुसार

...हरसिंह
...न्दुराम
...नि० अमरलाल
...का रिपोर्ट
...करन है

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	खाली पड़ी भूमि 32x12 मीटर में सायल को गैरसायलान किसी भी प्रकार की मजाहमत नहीं करेंगे तथा इसी नम्बर में 12x18 मीटर 14x12 मीटर मे निर्मित मकानो व भूमि में गैरसायलान को सायल किसी भी प्रकार की मजाहमत नहीं करेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	
	(signature) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	